

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या 171/2023 जीसीएमएस संख्या 2023/175 दायर दिनांक 10.11.2023 निर्णय दिनांक 10.04.2026

शीर्षक

बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज0। वादीया

बनाम

1. गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह
2. मामनसिंह
3. अमरसिंह
4. बहादुरसिंह
5. राजूसिंह
6. कृष्णसिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह
7. बर्षा कंवर पुत्री गजेन्द्र सिंह
8. छमली देवी पत्नि लक्ष्मण सिंह



- समस्त जाति राजपूत निवासी कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर राज.
  10. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादीया की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामनिवास यादव के द्वारा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.59 वाके मौजा कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। उक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 सहखातेदार काश्तकार काबिज है। तथा उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 1/2 तथा इसी हिस्सानुसार प्रतिवादी सं. 03 लगायत 08 लक्ष्मणसिंह के विधिक वारिसान है, जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबित काश्त करते चले आ रहे हैं, आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

2. वादीया द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.59 वाके मौजा कारोली तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड डाक सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 के खिलाफ दिनांक 30.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तथा प्रतिवादी सं. 01 के खिलाफ दिनांक 16.07.2025 को बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.07.2025 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

3. दिनांक 31.10.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रैजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वाद का डिक्री फरमाया जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः वादीया का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.59 वाके मौजा कारोली तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली (जयपुर)	1712/2 रकबा 0.1070 हैक्ट0 भूमि
2	गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह हि. 2675/4280 जाति राजपूत सा.देह लक्ष्मण सिंह पुत्र बनेसिंह हि. 1605/4280 जाति राजपूत सा.देह	1712/1 रकबा 0.0600, 1712/3 रकबा 0.0850, 1712/5 रकबा 0.2830 हैक्ट0 भूमि।
3	गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह हि. 2675/4280 जाति राजपूत सा.देह बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली (जयपुर) लक्ष्मण सिंह पुत्र बनेसिंह हि. 1605/4280 जाति राजपूत सा.देह	1712/4 रकबा 0.0550 हैक्ट0 भूमि

नोट- तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह फौत हो चुका है। तथा वादी के द्वारा तथा फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह (फौत) के वारिसान प्रतिवादी सं. 02 लगायत 08 बताये गये है। अतः तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह (फौत) के विधिक वारिसान की जांच कर विधि अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(डॉ. साधना शर्मा, IAS)  
उप-खण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
171/2023	2023/175	10.11.2023	10.04.2026

शीर्षक

बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज0। वादीया  
बनाम

1. गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह
2. मामनसिंह
3. अमरसिंह
4. बहादुरसिंह
5. राजूसिंह
6. कृष्णसिंह पुत्रान लक्ष्मण सिंह
7. वर्षा कंवर पुत्री गजेन्द्र सिंह
8. छमली देवी पत्नि लक्ष्मण सिंह



समस्त जाति राजपूत निवासी कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर राज.

10. सब रजिस्ट्रार महोदय सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः वादीया का वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1712 रकबा 0.59 वाके मौजा कारोली तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली (जयपुर)	1712/2 रकबा 0.1070 हैक्ट0 भूमि
2	गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह हि. 2675/4280 जाति राजपूत सा.देह लक्ष्मण सिंह पुत्र बनेसिंह हि. 1605/4280 जाति राजपूत सा.देह	1712/1 रकबा 0.0600, 1712/3 रकबा 0.0850, 1712/5 रकबा 0.2830 हैक्ट0 भूमि।
3	गीता देवी पुत्री बहादुरसिंह हि. 2675/4280 जाति राजपूत सा.देह बबली देवी पत्नि अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी दायमा की, पोस्ट रायकरणपुरा तहसील कोटपूतली (जयपुर) लक्ष्मण सिंह पुत्र बनेसिंह हि. 1605/4280 जाति राजपूत सा.देह	1712/4 रकबा 0.0550 हैक्ट0 भूमि

नोट- तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह फौत हो चुका है। तथा वादी के द्वारा तथा फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह (फौत) के वारिसान प्रतिवादी सं. 02 लगायत 08 बताये गये हैं। अतः तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार लक्ष्मणसिंह पुत्र बनेसिंह (फौत) के विधिक वारिसान की जांच कर विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कारत में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।  
डिक्री आज दिनांक 10.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)  
उप खण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहराइ)  
पावटा (कोटपूतली-बहराइ)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शान्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़			

